

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 60/019

तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

:—प्रार्थी

बनाम

- 1 भीमसिंह पुत्र श्यौदान
- 2 कल्याण पुत्र श्यौदान
- 3 रामेश्वर पुत्र ज्वानसिंह
- 4 भगोली पुत्र श्यौदान
- 5 रघुवीर पुत्र मलखान
- 6 रामप्यारी वेवा मिश्रा
- 7 महाराज पुत्र मिश्रा
- 8 सहाबसिंह पुत्र मिश्रा
- 9 एस बी बी जे हाल एस बी आई शाखा मेहदीपुर
- 10 एस बी बी जे हाल एस बी आई शाखा मेहदीपुर

समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान पैचला तहसील टोडाभीम जिला करौली

— अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 07.08.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 562/904 रकवा 0.06 है0.ग्राम पैचला तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 142/2 रकवा 5 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नदी के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2026 से 29 यह भूमि जवानसिंह पुत्र हरनन्द के नाम जरिये आवंटन से खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 142/2.का नवीन खसरा नम्बर 562/904 रकवा 0.06 है0 बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 562/904 रकवा 0.06 है0 वाके ग्राम पैचला को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन नदी को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।


प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी,

वकील अप्रार्थी संख्या 9 व 10 की बहस सुनी। दोराने बहस अपने कथन जवाब को दोहराते हुए कहा की बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। खातेदार द्वारा इस भूमि पर ऋण लिया गया है भूमि सिवायचक हो गई तो बैंक को नुकसान होगा प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत जवाब एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बत 2026 से 2029 की खाता संख्या 01 मे आराजी खसरा नम्बर 142. रकवा 46 वीघा 7 विस्वा भूमि गैरमुमकिन नदी के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी मे नामान्तकरण संख्या 117 में से रकवा 5 विस्वा भूमि जवानसिंह पुत्र हरनन्द जाति गुर्जर को आवंटन हुई। जवानसिंह फोट हो जाने के बाद अप्रार्थीयान के नाम आराजी खसरा नम्बर 562/904 रकवा 0.06 है0. खातेदारी स्वीकृत हुयी थी हाल जमाबंदी सम्बत 2070 से 73 मे अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। जहा पर वकील अप्रार्थी का कथन है कि इस आराजी पर बैंक का ऋण बकाया है। बहा पर मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2070 से 2073 में अप्रार्थीयान के नाम इस रकवे के अलावा अन्य काभी आराजी है उससे बैंक की बसूली हो सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि **All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammended accordingly.** माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 562/904 रकवा 0.06 है0 .ग्राम पैचला तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2026 से 2029 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नदी दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।


अति० जिला कलक्टर
करौली